न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 207/2024 दायर दिनाँक 24.06.2024

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्र दत्तक पुत्र नानूराम जाति गुर्जर निवासी जैवलियाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना —कुचामन।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थितः—

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 13.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वादी गांव जैवलियाबास का स्थायी निवासी है तथा वादी के पिता नानूराम के नाम संयक्त खातेदारी की राजस्व भूमि मौजा जैवलियाबास में अवस्थित खेत खसरा संख्या 232, 233 कुल खसरा 02 रकबा क्षेत्रफल 16.2400 है. पटवार हल्का बरांगना भू.अ.नि. निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है परन्तु मौके पर मौखिक एवं बाहमी बंटवारा करके सभी खातेदारान् अपने—अपने हिस्से पर काबिज कास्त चले आ रहे है तथा उक्त राजस्व भूमि में वादी के पिता स्व. नानूराम का सम्पूर्ण रकबा में से 1/4 हिस्सा पर काबिज कास्त रहे है। नानूराम ने वादी को दिनांक 29.05.2009 को जरिये गोदनामा के वादी को अपना वारिस नियुक्त किया था। वादी के पिता नानूराम का देहान्त हो गया जिससे वादी ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपने दत्तक पिता नानूराम के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तरण दर्ज कर खेत खसरा संख्या 232, 233 कुल खसरा 2 कुल रकबा 16.2400 है. में अपने पिता नानूराम के 1/4 हिस्से पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए चक्कर लगाता रहा है परन्तु आज दिन तक वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया है जिससे वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :—

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की फरमावें कि भूमि मौजा जैवलियाबास पटवार हल्का बरांगना भू.अ.नि. निम्बी कलां तहसील डीडवाना के खेत खसरा संख्या 232, 233 रकबा 16.2400 है. में वादी के पिता नानूराम के 1/4 हिस्से पर जरिये घोषणा खातेदारी के वादी को कृषि खातेदार उद्घोषित किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावें कि वादी की खातेदारी खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:28:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

232, 233 कुल रकबा 16.2400 है. में किसी भी की अवरोध, बाधा, दखलअन्दाजी एवं हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा जरिये पत्रांक प.1(7)रीडर/2024/37 दिनांक 10.01.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम जेवलिया बास के खसरा संख्या 233, 232 कुल रकबा 16.2400 है. संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें नानूराम पुत्र गंगाराम 1/4 हिस्सा भूमि का सहखातेदार है। वाद पत्र में नानूराम फोत होने का उल्लेख किया गया है मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के द्वारा उपलब्ध नही करवाया गया है। वाद में वादी ने नानूराम का दत्तक पुत्र मानते हुए नामान्तरण करने का उल्लेख किया है परन्तु वादी ने किसी प्रकार का गोदनामा व अन्य दस्तावेज नामान्तरण दर्ज करने हेतु पेश नहीं किये है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादी अपने पिता के हक हिस्से की भूमि में पिता के फौत होने के पश्चात् खातेदार घोषित किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। दौराने रेकर्ड के अवलोकन पाया कि वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में वादी गजेन्द्र को नानूराम पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जैवलियाबास को गोद लेने बाबत् एक अपंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत किया गया है। अपंजीकृत गोदनामे के आधार पर न्यायालय वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित नहीं समझता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

—ःआदेश ः—

मौजा गांव जैवलियाबास के खेत खसरा संख्या 232, 233 रकबा क्रमशः 0.0100 है., 16.2300 है. कुल किता 2 कुल रकबा 16.2400 है. भूमि में गोदनामे के आधार पर खातेदारी लेने बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.02.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:28:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 207/2024 दायर दिनाँक 24.06.2024

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्र दत्तक पुत्र नानूराम जाति गुर्जर निवासी जैवलियाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना –कुचामन।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.,

दिनाँक 13.02.2026

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओम प्रकाश पूनियां की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर मौजा गांव जैवलियाबास के खेत खसरा संख्या 232, 233 रकबा क्रमशः 0.0100 है., 16.2300 है. कुल किता 2 कुल रकबा 16.2400 है. भूमि में गोदनामे के आधार पर खातेदारी लेने बाबत् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.02.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:28:14 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
डीडवाना